सं.-एन -28011/2/2022-बीसी.III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली - 110 001

23 अप्रैल, 2022

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय:केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एडवाइजरी, जिसमें इसके तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन भी शामिल है।

इस मंत्रालय ने केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 के साथ पठित कार्यक्रम संहिता के अनुपालन के लिए 2005/2011 के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त सेटेलाइट टीवी चैनलों को बार-बार एडवाइजरी जारी की है। धारा 20 की उप-धारा (2) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, किसी भी चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण या पुनः प्रसारण को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है, यदि वह (i) भारत की संप्रभुता या अखंडता या (ii) भारत की सुरक्षा; या (iii) किसी विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध; या (iv) लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है। इसी प्रकार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3), अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार को किसी कार्यक्रम के प्रसारण/पुन: प्रसारण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है, जहां ऐसा कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप नहीं पाया जाता है। कार्यक्रम संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है: -

2. *धारा* 6: *(1) केबल सेवा में कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जो -*

(क) शोभनीयता या शालीनता के विरुद्ध हो;

(ख) मित्र देशों की आलोचना शामिल है ;

(ग) जिसमें धर्मों या *समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल हैं या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं;*

(घ) *इसमें कुछ भी, अश्लील , अपमानजनक , जानबूझकर, झूठी और विचारोत्तेजक बातें और अर्ध-सत्य शामिल है;*

2. हालाँकि, यह पाया गया है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं का कवरेज इस तरीके से किया है जो अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से

अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करता है, जो शोभनीयता या शालीनता को ठेस पहुंचाता है और शालीनता, अश्लीलता और मानहानिकारक और सांप्रदायिक रंग लिए हुए, ये सभी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते और उपरोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। विशेष रूप से, रूस-यूक्रेन संघर्ष, उत्तर-पश्चिम दिल्ली में कुछ घटनाओं और कुछ न्यूज डिबेटों पर रिपोर्टिंग पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. रूस-यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के संबंध में, यह देखा गया है:-

- चैनल झूठे दावे कर रहे हैं और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/अभिनेताओं को गलत तरीके से उद्धृत कर रहे हैं।
- 'निंदनीय शीर्षकों/टैगलाइनों' का उपयोग जो समाचार आइटम से पूरी तरह से असंबंधित हैं।
- इन चैनलों के कई पत्रकारों और समाचार एंकरों ने दर्शकों को उकसाने के इरादे से मनगढ़ंत और अतिशयोक्तिपूर्ण बयान दिए।

टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के कुछ उदाहरण **अनुलग्नक-I में दिए गए हैं** ।

4. इसी प्रकार, उत्तर-पश्चिम दिल्ली में हाल की घटना पर, टीवी चैनलों द्वारा कवरेज में निम्नलिखित तत्व थे: -

- हिंसा की उत्तेजक सुर्खियाँ और वीडियो जो समुदायों के बीच सांप्रदायिक नफरत भड़का सकते थे और शांति और कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते थे।
- निंदनीय और असत्यापित सीसीटीवी फुटेज चलाकर चल रही जांच प्रक्रिया को बाधित करना।
- एक विशिष्ट समुदाय के फुटेज दिखाने से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना।
- प्राधिकरण के कार्यों को सनसनीखेज बनाने और सांप्रदायिक रंग देने के लिए मनगढ़ंत सुर्खियाँ

कुछ टीवी चैनलों पर दिखाई गई सामग्री के कुछ उदाहरण **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

5. यह भी देखा गया कि समाचारों में, कुछ चैनल असंसदीय, उत्तेजक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों वाली डिबेट प्रसारित करते हैं, जिसका दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है और सांप्रदायिक वैमनस्य भी भड़क सकता है और शांति भंग हो सकती है। कुछ लोग असम्मानजनक टिप्पणी करते हुए या विभिन्न धर्मों या आस्थाओं या उनके संस्थापकों का संदर्भ देते हुए भी पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण **अनुलग्नक-III में वर्णित हैं** ।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकार उस तरीके के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करती है जिस तरह से टेलीविजन चैनल सामग्री प्रसारित करने के मामले में अपने संचालन कर रहे हैं और इसके द्वारा उन्हें सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से तुरंत बचें जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपरोक्त प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करती है।

उपरोक्त को सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,
हस्ता-/-

(वृंदा मनोहर देसाई)
निदेशक (बीसी)
दूरभाष:011-23386394

अनुलग्नक: **यथोपरि**

प्रतिलिपि: 1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों के सभी स्व-विनियामक निकाय।

नोट दें: इस एडवाइजरी की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.mib.gov.in और इस मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल से भी डाउनलोड की जा सकती है।

अनुलग्नक I

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग :

i. *एक चैनल ने* 18 अप्रैल, 2022 को *'यूक्रेन में एटोमी हड़कंप'* समाचार प्रसारित किया, इस दौरान यह उल्लेख किया गया कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा है। इसने स्थिति को और सनसनीखेज बना दिया और कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हमला होगा। इस रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का भी गलत हवाला दिया गया।

ii. युद्ध भड़काने में लिप्त एक अन्य चैनल इस हद तक तथ्यहीन अटकलें प्रसारित कर रहा है कि दर्शकों के मन में डर पैदा हो गया है क्योंकि उसने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी है।

iii. एक चैनल ने 18 अप्रैल, 2022 को *'परमाणु पुतिन* से *परेशान ज़ेलेंस्की', 'परमाणु एक्शन की चिंता ज़ेलेंस्की को डिप्रेशन' शीर्षक से निराधार सनसनीखेज खबरें प्रसारित की* और विदेशी अभिनेताओं/एजेंसियों को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए कई असत्यापित दावे प्रसारित किए गए कि "आधिकारिक रूसी मीडिया स्पष्ट रूप से कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है"। चैनल ने झूठे दावे के साथ फुटेज भी दिखाया कि रूसी राष्ट्रपति अपने साथ "परमाणु ब्रीफकेस" ले जा रहे हैं।

iv. एक अन्य चैनल ने 19 अप्रैल को गलत रिपोर्टिंग की और असत्यापित दावे किए, ऐसा ही एक दावा था - 'अमेरिकी एजेंसी सीआईए का मानना है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा।'

v. एक चैनल ने 19 अप्रैल, 2022 को अक्सर परमाणु युद्ध के सनसनीखेज दावे किए, '*परमाणु निशाना हैरतअंगेज खुलासा वर्ल्ड वार का' शीर्षक से* चैनल ने ऐसे कई भड़काऊ और निंदनीय 'युद्ध को बढ़ावा देने वाले' दावे कई बार प्रसारित किए।

vi. *एक प्रमुख चैनल ने यूक्रेन से पुतिन का परमाणु प्लान तैयार? 'परमाणु हमला होना तय है?* जैसी सनसनीखेज सुर्खियों के तहत गलत रिपोर्टिंग करके दर्शकों को गुमराह किया जिसे 19 अप्रैल, 2022 को प्रसारित किया गया था। चैनल अपनी रिपोर्टिंग में अक्सर ऐसी भ्रामक और असंबंधित टैगलाइन का उपयोग करता है।

vii. यह पाया गया कि एक चैनल ने प्राइम टाइम के दौरान सक्रिय संघर्ष पर एक सनसनीखेज मनगढंत कमेंटरी चलायी। इसमें 19 अप्रैल, 2022 को *'एटम बम गिरेगा? तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा'* जैसी मनगढ़ंत हेडलाइन का इस्तेमाल किया गया।

viii. एक चैनल ने युद्ध पर असत्यापित और गलत खबरों से दर्शकों को गुमराह किया। इनमें से कई चैनलों के एंकर अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं और अन्य स्रोतों को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियाँ भी करते हैं। ऐसी ही एक खबर 20 अप्रैल, 2022 को 'मारियुपोल फिनिशड फुल एंड फाइनल' शीर्षक से थी।

ix. एक चैनल ने यूक्रेन पर होने वाले परमाणु हमले का सबूत होने का दावा करते हुए मनगढ़ंत तस्वीरें प्रसारित की। यह पूरी तरह से काल्पनिक समाचार दर्शकों को गुमराह करने और उनके अंदर मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल पैदा करने का इरादा रखती प्रतीत होती है। '*ये रात*

कयामत वाली है' शीर्षक से यह शो 20 अप्रैल 2022 को प्रसारित हुआ।

- **X** एक चैनल के पत्रकार ने मायकोलाइव से रिपोर्टिंग करते समय कई तथ्यहीन टिप्पणियाँ, 'रूस परमाणु हमला कब करेगा? कहां करेगा जैसे बयानों से मुद्दे को बढ़ावा देना प्रतीत होता है। चैनल ने 20 अप्रैल, 2022 को 'विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया' जैसी टैगलाइन का भी इस्तेमाल किया।

अनुलग्नक II

उत्तर-पश्चिम दिल्ली घटना कवरेज

i. 'दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन ?' (दिनांक: 16 अप्रैल)
ii. 'बड़ी साजिश दंगे वाली, करौली , खरगोन वाया दिल्ली' (दिनांक: 17 अप्रैल, 2022)
iii. एक चैनल ने बार-बार एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के तलवार लेकर चलने की वीडियो क्लिपिंग चलाई।
iv. चैनलों का दावा है कि इस वीडियो में दर्शाया गया है कि एक धार्मिक जुलूस में हिंसा फैलाना पूर्व नियोजित था. (19 अप्रैल 2022)
v. शीर्षक के अंतर्गत फ़ुटेज: ' हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो' (दिनांक: 19 अप्रैल, 2022)
vi. वोट बैंक बनाम बहुसंख्यकवादी राजनीति (दिनांक: 19 अप्रैल, 2022)

अनुलग्नक III

न्यूज डिबेट्स:

(i) एक समाचार चैनल ने 20 अप्रैल, 2022 को 'हुंकार' शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया। बहस के दौरान कई वक्ताओं ने एक-दूसरे के प्रति असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। यह भी पाया गया कि शो का समग्र टेनॉर और टोनलिटी बहुत आक्रामक और परेशान करने वाला रहता है। इस तरह के माहौल में दर्शकों विशेषकर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की प्रवृत्ति होती है और उन पर लंबे समय तक चलने वाला मनोवैज्ञानिक तनाव और अचेतन प्रभाव पड़ सकता है।

(ii) एक समाचार चैनल ने 15 अप्रैल, 2022 को 'लाउडस्पीकर नियम' पर 'अली' बनाम बली, कहाँ कहाँ 'खलबली?' शीर्षक से प्रसारित डिबेट शो पैनलिस्टों ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और शो के दौरान कुछ सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की गईं।

(iii) 15 अप्रैल, 2022 को प्रसारित 'अली, बजरंगबली पर खलबली' शीर्षक वाले प्राइम टाइम शो के दौरान एक चैनल के पत्रकार ने भड़काने वाले बयानों और अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया।